न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2023-79Ju2023-43 Jethudan Vs state

जेठूदान पुत्र पेमदान, जाति चारण, निवासी– ग्राम बधाउड़ा, तहसील बाप, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

01. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर जोधपुर।(वर्तमान जिला फलोदी)
02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप दिनांक 30 जनवरी 2023 राजस्व वाद संख्या 192/2020 जेठूदान बनाम सरकार

———— 0 ————

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स

नि र्ण य

दिनांक : 25 नवंबर 2024

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 192/2020 जेठूदान बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 जनवरी 20223 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 15 फरवरी 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने एक वाद घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद इस आशय का पेश किया कि गांव बधाउड़ा, तहसील बाप जिला जोधपुर ;वर्तमान जिला फलोदीद्ध में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 13 कुल रकबा 33.19 बीघा, खसरा नं. 14 रकबा 6.12 बीघा, खसरा नं. 15 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नं. 21 रकबा 26.12 बीघा पर वादी का पीढियों से कब्जा काश्त है। उक्त भूमि पर वादीगण का पूर्वजों के समय से सेटलमेंट से पूर्व कब्जा काश्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

... खसरा नम्बर 13 व 21 खातेदारी में तथा खसरा

निरंतर चला आ रहा है। वक्त बंदोबस्त खसरा नं. 13 व 21 अपीलार्थी के पिता के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई, परन्तु खसरा नं. 15 रकबा 17 बिस्वा भूमि पशु धन के लिए कुआ खोदने के कारण गैर मुमकिन व खसरा न 14 कुआँ खोदने के लिए बेलों द्वारा सारण चलाने से व काश्त नहीं कर पाने से भूलवंश ओरण के रूप में गलत दर्ज कर दी, जबकि उक्त भूमि पर वादी का पीढियों से कब्जा काश्त है, इसलिए खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया। उपरोक्त वाद में राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार की तरफ से जवाब दावा पेश नहीं कर आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादीगण/अपीलार्थीगण का वाद खारिज कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया गया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन डिक्री व निर्णय विधि, विधान, संचिका, अभिलेख के तथ्यों एवं न्याय के विपरीत तथा इंसाफन व कानूनन गलत होने से निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि उसके द्वारा वाद व दस्तावेजो का अवलोकन कर आदेश पारित किया गया है, जबकि आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के समय मात्र वाद में अंकित तथ्यों को ही पढा जा सकता है। दस्तावेजो के अवलोकन नहीं किया जा सकता है। इस कारण आलौच्य निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद का अवलोकन किये बिना ही कि वाद किस विधि से बाधित है तथा वाद अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के किस प्रावधान के तहत खारिज किया गया है, का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे भी स्पष्ट होता है कि आलौच्य निर्णण एवं डिक्री बिना किसी न्यायिक दिमाग का प्रयोग किये पारितकिया गया है जो अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को अपने निर्णय व डिक्री में यह बताये बिना आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है कि वाद विधि विधि वर्जित है, परन्तु बिना किसी विधि की व्याख्या किये आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है जो अपास्त योग्य है। वाद घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिस वाद हेतु कोई समय सीमा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तय नहीं की गई है। इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खसरा नं. 13 व 21 खातदारा म तथा खसरा

कारण वाद अन्दर म्याद प्रस्तुत किया गया है तथा एडवर्स पजेशन का बिंदु साक्ष्य से ही तय किया जा सकता है। इस कारण भी आलौच्य आदेश अपास्त योग्य है। अगर वाद में तनकीयात कायम की जाती, साक्ष्य ली जाती तथा दस्तावे प्रदर्श करवाये जाते तो वादी का वाद अवश्य ही स्वीकार करने काबिल था। किसी भी न्यायालय की यह मंशा नहीं होनी चाहिए कि एक नियमित वाद को सरसरी दृष्टि से एक प्रार्थना पत्र के जरिये खारिज कर दे। उपरोक्त दृष्टि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। वादी अपने दावे को दस्तावेजी एवं जबानी शहादत से बखुबी साबित कर देते लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने वादी को बिना कोई साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही वाद को खारिज कर दिया गया, जबकि वादी का दावा हर सुरत में डिक्री किय जाना चाहिए था। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वादी के वाद में तनकीयात कायम की जाकर बाद साक्ष्य सुनवाई मामले का गुणावगुण पर पुनः निर्णय किया जावें।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है। अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी पर बतौर अतिक्रमी काबिज है। अपीलांट्स के विरूद्ध समय–समय पर कार्यवाही की जाकर उन्हें बेदखल किया गया है। सरकारी भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादीगण के वाद को सरकारी भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा वादीगण को दिया जाना विधिसम्मत नहीं मानकर प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 7 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर वादीगण का वाद खारिज कर दिया गया। आदेश 07 नियम 11 में स्पष्ट प्रावधान है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

यदि न्यायालय द्वारा वाद पत्र को आदेश 7 नियम 11 पर खारिज किया जाता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पर निर्णय से पहले कानूनी विवाद्यक कायम किया जावे तथा उभय पक्ष को उक्त विवाद्यक के समर्थन में साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर विधिसम्मत निर्णय किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 7 सीपीसी पर वाद विचारण प्रक्रिया के तहत बिना तनकीयात कायम किये तथा वादीगण का सुनवाई का अवसर प्रदान वाद खारिज किया जाना पाया जाता है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं है।

वस्तुतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निर्धारित विधिक प्रक्रिया के अनुरूप अपीलांट्स अवसर प्रदान किये बिना, बिना तनकीयात कायम किये,पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का तर्कसंगत, विधिसम्मतः एवं न्यायोचित विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना पारित किया जाना पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 192/2020 जेठूदान बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 जनवरी 2023 खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में तनकीयात कायम कर, पक्षकारान को विधिवत साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जावे और इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य सबूत का तर्कसंगत, विधिसम्मतः एवं न्यायोचित विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए तनकीवार निष्कर्ष पारित कर मूल वाद का निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर